



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ



पत्रांक : ले0ह0-II/नि0स0(प्र0)/गुप-II/परिपत्र/

दिनांक:

अति आवश्यक

सेवामें,

1. समस्त अधिशासी अभियन्ता/संबन्धित खंड
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संबन्धित खंड

विषय : मासिक लेखा प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में यह अवगत करना है कि खण्डों में मासिक लेखे समय से न प्राप्त होने के कारण लेखा संकलन करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा राज्य लेखे में शामिल करने में विलम्ब होता है। यद्यपि ससमय लेखा प्रेषित करने हेतु समय समय पर पत्र प्रेषित किया जाता रहा है, किन्तु खण्डों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में अत्यन्त विलम्ब किया जाता है, जिसे महालेखाकार महोदय ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है तथा ससमय लेखा संकलन पूर्ण किए जाने हेतु, निर्देशित किया है कि खण्डों से मासिक लेखा प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह के 07 तारीख तक इस कार्यालय में अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ससमय लेखा प्रेषण हेतु यदि आवश्यकता हो तो संदेशवाहक के माध्यम से भी कार्यालय को लेखा प्रेषित किया जा सकता है। उक्त प्रयोजन हेतु दिनांक 07 (शनिवार) एवं 08 फरवरी (रविवार) को भी कार्यालय गेट पर केयर टेकर कक्ष में इस कार्यालय के क्रमशः श्री मनमोहन कृष्ण, वंले एवं श्री प्रमोद कुमार, वंले लेखे प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे, जिनको माह जनवरी 2025 का लेखा दिया जा सकता है। सुविधा की दृष्टि से यह भी अवगत कराना है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में लेखा माह की 7 तारीख तक मासिक लेखे (समस्त प्रपत्रों सहित) के प्रेषण हेतु DAG Cell के आधिकारिक ई-मेल आईडी dagworkcell.up2.ae@cag.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। ई-मेल द्वारा प्रेषित लेखा के साथ मूल लेखा प्रेषण का प्रमाणित विवरण (जैसे—रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट की रसीद) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे मूल लेखा की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने खण्ड का मासिक लेखा नियमानुसार तैयार करा कर प्रत्येक माह के 07 तारीख के पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विलम्ब से लेखा प्राप्त होने के कारण राज्य लेखा से विलग होने की स्थिति में सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी खण्ड की होगी।


भवदीय

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि0स0(प्र0)

पत्रांक : ले0ह0-II/नि0स0(प्र0)/ग्रुप-II/परिपत्र/  
प्रतिलिपि:-

दिनांक :

1. संबन्धित खण्डीय लेखाकार / खण्डीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से करना सुनिश्चित करें।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग उ0प्र0 लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3. ITCG अनुभाग को इस आशय से प्रेषित की इस पत्र को DA/DAO के वैबसाइट पर शीघ्रातिशीघ्र host करें।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि0स0(प्र0)